2025:CGHC:47391–DB

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्रमांक 975/2019

निर्णय सुरक्षित रखने का दिनाँक : 20.8.2025

निर्णय पारित करने का दिनाँक : 16.9.2025

• अमोल रायपुरे, पिता– डोमाजी रायपुरे, आयु लगभग 28 वर्ष स्थायी निवासी– ग्राम डोबगाँव, भोसी, तहसील– सावली, जिला– चंद्रपुर, महाराष्ट्र। वर्तमान निवासी– मकड़ी, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला:कांकेर, छत्तीसगढ़।

...अपीलार्थी (गण)

विरुद्ध

• छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा: थाना कांकेर, जिला– उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़, जिला:कांकेर, छत्तीसगढ़।

...प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण)की ओर से	:	श्री डी. के. ग्वालरे, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी(गण)/राज्य की ओर से	:	श्री देवेश जी. केला, पैनल अधिवक्ता।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

खंडपीठ

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे एवं

माननीय न्यायमूर्ति श्री अमितेन्द्र किशोर प्रसाद

सी. ए. वी. निर्णय

द्वारा: अमितेन्द्र किशोर प्रसाद, न्यायमूर्ति

1. वर्तमान दाण्डिक अपील अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 (2) के अधीन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) एवं विशेष न्यायाधीश पोक्सो, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर के न्यायालय द्वारा विशेष दाण्डिक प्रकरण (पोक्सो एक्ट) क्रमांक 24/2018 में दिनांक 11.12.2018 को पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश के निर्णय की वैधता, विधिमान्यता एवं औचित्यता को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसमें अपीलार्थी को निम्नानुसार दोषसिद्ध किया गया है:–

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दंड संहिता की धारा 363 अधीन	सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अधीन	दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,000/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के अधीन	एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पोक्सो), 2012 की धारा 6 के अधीन	बीस वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5,000/– रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम पर एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

समस्त दण्डादेश साथ–साथ चलेंगे ।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि, दिनांक 24.03.2018 को लगभग रात्रि 10:00 बजे, थाना–कांकेर के अंतर्गत ग्राम मकड़ी ढाबा के पास स्थित एक किराए के मकान में, अभियुक्त ने आवेदक मुकेश शोरी की 16 वर्षीय अवयस्क पुत्री/अभियोक्त्री को अवयस्क जानते हुए, उसके संरक्षक पिता मुकेश शोरी और माता श्रीमती मालती शोरी की सम्मति के बिना, उसे विवाह का प्रलोभन देकर वैध संरक्षकता से चंद्रपुर ले जाकर उसका अपहरण कर लिया। उक्त अपहरण अभियोक्त्री के साथ अयुक्त लैंगिक संभोग करने और बलात्संग करने के आशय से किया गया था। अभियुक्त ने उसे दो दिनों तक (24.03.2018 से 25.03.2018 तक) निरुद्ध रखकर सदोष परिरोध कारित किया और अभियोक्त्री की इच्छा के विरुद्ध लैंगिक संभोग कर बलपूर्वक बार–बार बलात्संग किया। यह जानते हुए कि पीड़िता अवयस्क है, अभियुक्त ने उसके साथ गुरुतर लैंगिक प्रवेशन हमला किया। मुकेश कुमार शोरी (अभियोजन साक्षी–2) ने थाना–कांकेर में एक लिखित शिकायत प्रदर्श पी/4 दर्ज कराई कि वह गाँव–गाँव जाकर बर्तन बेचने का व्यवसाय करता है। दिनांक 24.03.2018 को वह अंतागढ़ से बर्तन बेचने ग्राम मकड़ी आया था। उसकी पत्नी श्रीमती मालती शोरी, अभियोक्त्री और उसका भतीजा राज शोरी उसके साथ आए थे और मकड़ी ढाबा के पास रसमयी में ठहरे हुए थे। उसके बाद, वह सामान बेचने धमतरी चला गया और दोपहर लगभग 12:00 बजे वापस मकड़ी आया। तब उसकी पत्नी श्रीमती मालती ने उसे बताया कि सुबह लगभग 10:00–11:00 बजे उसकी पुत्री बिना किसी को बताए कहीं चली गई है और कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला–फुसलाकर ले गया है। आवेदक की रिपोर्ट के आधार पर, थाना कांकेर में अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 363 के अधीन अपराध क्रमांक 123/2018 पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान, सामान की बरामदगी और अभियोक्त्री के कथन के आधार पर, उपरोक्त उल्लेखित अपराधों के अतिरिक्त अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 366, 376, 343 व लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 जोड़ी गई। विवेचना के दौरान, अभियुक्त के जननांग परीक्षण हेतु उसकी माता की सम्मति प्राप्त की गई और अभियुक्त का परीक्षण प्रदर्श पी/8 संपन्न हुआ। पुलिस ने घटना स्थल का नजरी–नक्शा प्रदर्श पी/3 और पी/6 तैयार किया और

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पटवारी द्वारा क्रमशः प्रदर्श पी/12 और पी/13 के माध्यम से नजरी–नक्शा एवं पंचनामा तैयार कर तहसीलदार को भेजा गया। धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन मजिस्ट्रेट के न्यायालय में कथन अभिलिखित किए गए। जब्ती की कार्यवाही प्रदर्श पी/9 और पी/18 और अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रदर्श पी/19 की गई, जिसकी सूचना प्रदर्श पी/20 उसके परिवार को दी गई। अभियुक्त का पौरुष परीक्षण प्रदर्श पी/11 कराया गया और साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए। प्रकरण में जब्त की गई वैजाइनल स्लाइड को न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया प्रदर्श पी/24 और न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श पी/26 के अनुसार, उसमें वीर्य के धब्बे और मानव शुक्राणु पाए गए।

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन पीड़िता के साथ–साथ साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए हैं और विवेचना पूर्ण होने के उपरांत, विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 व 342 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन अभियोग– पत्र प्रस्तुत किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 व 342 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन आरोप विरचित किए हैं। अपीलार्थी ने दोष अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोपों को स्थापित करने हेतु, अभियोजन ने कुल 10 साक्षियों का परीक्षण किया है और 26 प्रदर्श प्रस्तुत किए हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी के कथन भी अभिलिखित किए गए हैं, जिनमें उसने अपने विरुद्ध प्रतीत साक्ष्य सामग्री से इनकार किया है और स्वयं के निर्दोष होने का अभिवाक करते हुए यह निवेदन किया है कि उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

5. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों की विवेचना के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया और उसे इस निर्णय की कण्डिका–1 में उल्लेखित दंड से दंडित किया। वर्तमान अपीलार्थी ने उक्त आदेश से व्यथित होकर यह वर्तमान अपील प्रस्तुत की है, अतः यह अपील की गई है।

6. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि विधि में पूर्णतः असंधारणीय है, चूँकि अभियोजन यह साबित करने के अपने प्राथमिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है कि अभियोक्त्री कथित घटना की तिथि और समय पर अवयस्क थी। उन्होंने आगे तर्क किया कि अपहरण के आवश्यक घटक, चाहे वह विवाह के प्रयोजन से हो या अयुक्त संभोग के लिए, स्थापित नहीं किए गए हैं। पुख्ता और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव के बावजूद, अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया है। उन्होंने आगे यह तर्क किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपने परिसाक्ष्य में अभियोक्त्री कई पहलुओं पर पक्षद्रोही घोषित की गई है और वास्तव में, उसने महत्वपूर्ण विवरणों में अपने कथनों में सुधार किया है, जो उसके पूर्व के कथनों के सीधे विरोधाभाषी हैं। यह तर्क किया गया है कि इस प्रकार के सुधार उसकी

विश्वसनीयता की जड़ पर प्रहार करते हैं। उनका आगे यह तर्क है कि चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं करते हैं। परीक्षण करने वाले चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से अभिमत दिया कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई आंतरिक या बाह्य चोट नहीं पाई गई। हाइमन पुरानी और फटी हुई पाई गई, और चिकित्सक ने विशेष रूप से दर्ज किया कि अभियोक्त्री लैगिक संभोग की आदी थी। यह तर्क किया गया है कि यह चिकित्सीय साक्ष्य बलपूर्वक लैंगिक हमले के अभियोजन की कहानी को ध्वस्त कर देता है। उन्होंने आगे तर्क किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी देरी से दर्ज की गई थी। हालांकि कथित घटना 24.03.2018 को हुई बताई जाती है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनाँक 28.3.2018 को दर्ज की गई थी। यह तर्क किया गया है कि इस विलंब का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, और यह चूक अभियोजन के प्रकरण को संदिग्ध बनाती है। अधिवक्ता के अनुसार यह भी महत्वपूर्ण है कि अभियोक्त्री ने स्वीकार किया है कि वह अपीलार्थी के साथ लगभग पांच दिनों तक रही, जिस दौरान उसने कोई शोर नहीं मचाया। इस अवधि के दौरान किसी भी प्रतिरोध या शिकायत का अभाव इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि अभियोक्त्री अपीलार्थी के साथ जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने, दोनों में सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क किया कि अभियोजन किसी भी विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अभियोक्त्री की अवयस्कता साबित करने में असफल रहा है। यद्यपि एक अस्थि परीक्षण किया गया था, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की एक श्रृंखला द्वारा यह सुस्थापित है कि ऐसा परीक्षण निर्णायक नहीं होता है और इसमें दोनों ओर दो वर्ष का त्रुटि अतंराल है। इसलिए, संदेह का लाभ अपीलार्थी को मिलना चाहिए। अपने तर्कों के समर्थन में, अधिवक्ता ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आधिकारिक निर्णयों, जैसे *अलमेलु विरुद्ध राज्य (2011) 2* एससीसी *385*, *मनोज विरुद्ध राज्य हरियाणा (2022) 6* एससीसी *187* और *विनोद कटारा विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (2023) 15* एससीसी *210* का अवलंब लिया है, जिनमें निरंतर यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब अभियोजन अभियोक्त्री की अवयस्कता को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहता है और साक्ष्यों में महत्वपूर्ण विरोधाभाषा एवं दोष प्रतीत होता है, तो दोषसिद्धि को यथावत नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध किया है और यह तर्क किया है कि घटना के दिन पीड़िता अवयस्क थी और 18 वर्ष से कम आयु की थी, जो कि (अ.सा.–9) भगतिन सिन्हा द्वारा साबित होता है, जो शासकीय कन्या प्राथमिक शाला, कन्नेवाड़ा, जिला–बालोद में प्रधानपाठिका के रूप में पदस्थ थीं। प्रदर्श पी/16 के रूप में दाखिल–खारिज पंजी साक्षियों द्वारा विधिवत साबित किया गया था, जिसमें पीड़िता की जन्म तिथि 16.3.2003 दर्ज है। उसके अवयस्क बालिका होने के कारण, अपीलार्थी द्वारा उसे ले जाया गया और उसके साथ लैंगिक संभोग किया गया, जिससे भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 व 342 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन परिभाषित बलात्संग का अपराध घटित हुआ। संपूर्ण साक्ष्यों पर

विचार करते हुए विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडित किया है, जो न्यायोचित है और वर्तमान अपीलार्थी की अपील खारिज किए जाने योग्य है ।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया।

9. अभियोक्त्री/पीड़िता की आयु पर विचार करने के हेतु, हमने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया है। अभियोजन ने मुख्य रूप से दाखिल–खारिज पंजी (प्रदर्श पी/16) का अवलंब लिया है, जिसे (अभियोजन साक्षी–9) भगतिन सिन्हा द्वारा साबित किए जाने का प्रयास किया गया है। उक्त साक्षी शासकीय कन्या प्राथमिक शाला, कन्नेवाड़ा, जिला–बालोद में प्रधानाध्यापिका के पद पर पदस्थ थीं, जिसके अनुसार अभियोक्त्री/पीड़िता की जन्म तिथि 16.3.2003 दर्ज है।

10. साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री/पीड़िता की जन्म तिथि के समर्थन में केवल दाखिल–खारिज पंजी ही उपलब्ध है।

11. **रविंदर सिंह गोरखी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य**, 2006 (5) एससीसी 584 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 26 में निम्नानुसार अवधारित किया है:

> "26. धारा 35 के अधीन किसी दस्तावेज़ को ग्राह्य बनाने के लिए तीन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है, प्रथमतः, जिस प्रविष्टि का अवलंब लिया गया है वह किसी सार्वजनिक या अन्य आधिकारिक किताब, पंजी या अभिलेख में होनी चाहिए; द्वितीयतः, यह एक ऐसी प्रविष्टि होनी चाहिए जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का कथन करती हो; और तृतीयतः, यह किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए कर्तव्य के पालन में की गई होनी चाहिए। विद्यालय पंजी में दर्ज जन्म तिथि से संबंधित प्रविष्टि अधिनियम की धारा 35 के अधीन सुसंगत और ग्राह्य है, किंतु उस सामग्री की अनुपस्थिति में जिसके आधार पर आयु दर्ज की गई थी, किसी व्यक्ति की आयु सिद्ध करने के लिए विद्यालय पंजी में दर्ज प्रविष्टि का अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं होता है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. **अलामेलु व एक अन्य विरुद्ध राज्य, प्रतिनिधि द्वारा पुलिस निरीक्षक, (2011) 2 एससीसी 385** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि शासकीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जो प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो, साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 35 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य होगा। यद्यपि, उस सामग्री के अभाव में जिसके आधार पर आयु दर्ज की गई थी, ऐसे दस्तावेज़ की ग्राह्यता का पीड़िता की आयु साबित करने के लिए

अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का तब तक कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति का परीक्षण न किया जाए जिसने वह प्रविष्टि की थी या जिसने जन्म तिथि लिखवाई थी।

अलामेलु (पूर्वोक्त) के अपने निर्णय की कण्डिकाएँ 40, 42, 43, 44 व 48 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है :

> "40. निस्संदेह, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्रदर्श पी–16 यह दर्शाता है कि बालिका की जन्म तिथि 15 जून, 1977 थी। अतः, उपरोक्त प्रमाण पत्र के अनुसार भी, कथित घटना की तिथि अर्थात् 31 जुलाई, 1993 को उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक (16 वर्ष 1 माह और 16 दिन) होगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र एक शासकीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया है और प्रधानाध्यापक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित है। इसलिए, यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अधीन साक्ष्य में ग्राह्य होगा। तथापि, उस सामग्री के अभाव में जिसके आधार पर आयु दर्ज की गई थी, ऐसी प्रविष्टि की ग्राह्यता का बालिका की आयु साबित करने के लिए अधिक साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा। स्थानांतरण प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि का तब तक कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होगा जब तक कि उस व्यक्ति का परीक्षण न किया जाए जिसने प्रविष्टि की थी अथवा जिसने जन्म तिथि लिखवाई थी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

42. किसी दस्तावेज़ में दर्ज तथ्यों को साबित करने के तरीके पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने बिराद मल सिंघवी विरुद्ध आनंद पुरोहित 1 के प्रकरण में निम्नानुसार अवधारित किया है:–

> "छात्र पंजी में उल्लिखित जन्म तिथि का तब तक कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं होता जब तक कि उस व्यक्ति का परीक्षण न किया जाए जिसने वह प्रविष्टि की थी या जिसने जन्म तिथि लिखवाई थी। मात्र इसलिए कि प्रदर्श 8, 9, 10, 11 और 12 सिद्ध हो चुके थे, इसका अर्थ यह नहीं है कि उन दस्तावेजों की अंतर्वस्तु भी साबित हो गई थी। प्रदर्श 8, 9, 10, 11 व 12 का मात्र साबित होना, दस्तावेजों में वर्णित जन्म तिथि की सत्यता या उसकी समस्त अंतर्वस्तु के प्रमाण के समान नहीं होगा। चूंकि तथ्य की सत्यता, अर्थात हुकमी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्म तिथि विवाद्यक थी, अतः उक्त दो साक्षियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का मात्र साबित होना, उन तथ्यों की सत्यता या दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है। विवाद्यक तथ्यों की सत्यता या असत्यता, अर्थात दस्तावेजों में उल्लिखित दो अभ्यर्थियों की जन्म

तिथि को ग्राह्य साक्ष्य द्वारा सिद्ध किया जा सकता था, अर्थात उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो विवाद्यक तथ्यों की सत्यता की पुष्टि कर सकते थे। प्रत्यर्थी द्वारा तथ्यों की सत्यता, अर्थात हुकमी चंद और सूरज प्रकाश जोशी की जन्म तिथि को साबित करने के लिए इस प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। ऐसी परिस्थितियों में, पूर्वोक्त दस्तावेजों [1988 (सप्प.) एससीसी 604] में उल्लिखित जन्म तिथियों का कोई प्रमाणिक मूल्य नहीं है और उनमें उल्लिखित जन्म तिथियों को स्वीकार नहीं किया जा सकता था।"

43. विधि के इसी सिद्धांत को इस न्यायालय द्वारा नर्मदा देवी गुप्ता विरुद्ध बीरेंद्र कुमार जायसवाल के प्रकरण में दोहराया गया है, जहाँ इस न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:–

"यह विधिक स्थिति निर्विवाद है कि न्यायालय द्वारा किसी दस्तावेज़ को मात्र प्रस्तुत करने और उसे प्रदर्श के रूप में अंकित कर देने से उसकी अंतर्वस्तु का उचित प्रमाण नहीं माना जा सकता। इसके निष्पादन को ग्राह्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है, अर्थात् उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा जो विवाद्यक तथ्यों की सत्यता की पुष्टि कर सकें"।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

44. हमारे अभिमत में, अभियोजन द्वारा उक्त सबूत का भार निर्वहन नहीं किया गया है। पिता ने अपने साक्ष्य में स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। प्रधानाध्यापक का बिल्कुल भी परीक्षण नहीं किया गया है। इसलिए, बालिका की आयु निश्चित रूप से अवधारित करने के लिए स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रविष्टि का अवलंब नहीं लिया जा सकता है।

48. हम आगे यह भी संज्ञान ले सकते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के संदर्भ में भी, किसी लोक दस्तावेज़ का परीक्षण सिविल के साथ–साथ दाण्डिक कार्यवाहियों में समान मानक लागू करके किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, रविंदर सिंह गोरखी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य के प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा किए गए अवलोकनों पर विचार करना उचित होगा, जिसमें निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

"किसी व्यक्ति की आयु, जैसा कि विद्यालय पंजी में दर्ज है या अन्यथा, विभिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग की जा सकती है, यथा, प्रवेश प्राप्त करने के लिए; नियुक्ति प्राप्त करने के लिए; चुनाव लड़ने के लिए; विवाह के पंजीयन हेतु; सीलिंग कानूनों के अधीन एक अलग इकाई प्राप्त करने के लिए; और यहाँ तक कि किसी दीवानी मंच के समक्ष मुकदमेबाजी के प्रयोजन के लिए, उदाहरण के तौर पर, न्यायालय में एक

अभिभावक द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने की आवश्यकता के लिए या जहाँ इस आधार पर वाद दायर किया गया हो कि वादी के अवयस्क होने के कारण उसका वहां उचित प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था या उसकी ओर से किया गया कोई भी संव्यवहार शून्य था क्योंकि वह अवयस्क था। साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों को विचार में रखते हुए, वाद के किसी पक्षकार की आयु निर्धारित करने के प्रयोजन से एक न्यायालय को वही मानक लागू करना होगा। किसी अभियुक्त के प्रकरण में कोई अलग मानक लागू नहीं किया जा सकता है, जैसे कि अपहरण या बलात्संग, या इसी तरह के अपराध के प्रकरण में जहाँ पीड़िता ने भले ही अभियुक्त को सम्मति दी हो, यदि विद्यालय द्वारा संधारित पंजी में की गई प्रविष्टियों के आधार पर दोषसिद्धि का निर्णय अभिलिखित किया जाता है, तो अभियुक्त संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएगा, क्योंकि उस स्थिति में अभियुक्त को अन्यायपूर्ण रूप से दोषसिद्ध किया जा सकता है।"

13. **ऋषिपाल सिंह सोलंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, (2022) 8 एससीसी 602** के प्रकरण में, विभिन्न निर्णयों पर विचार करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 33 में निम्नानुसार अवधारित किया है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"33. पूर्वोक्त निर्णयों की श्रृंखला पर समग्र रूप से विचार करने पर जो निष्कर्ष उभरता है, वह निम्नानुसार है:

33.2.2. यदि न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा करते हुए कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप–धारा (2) के प्रावधानों को धारा 9 की उप–धारा (2) के साथ लागू किया जाना या पढ़ा जाना चाहिए, ताकि यथासंभव सटीक आयु बताते हुए निष्कर्ष अभिलिखित करने के प्रयोजन से साक्ष्य प्राप्त किए जा सकें।

XXXX XXXX XXX

33.3. जब किशोर होने का दावा किया जाता है, तो प्रारंभिक भार को मुक्त करने के लिए न्यायालय को संतुष्ट करने का उत्तरदायित्व दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। हालांकि, किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के अधीन बनाए गए जेजे नियम 2007 के नियम 12(3)(a)(i), (ii), और (iii) या किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94 की उप–धारा (2) में उल्लिखित दस्तावेज न्यायालय की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे। उक्त दस्तावेजों के आधार पर किशोर होने की उपधारणा की जा सकती है।

33.4. उक्त उपधारणा, हालांकि, किशोर आयु का निश्चायक प्रमाण नहीं है और विरोधी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत विपरीत साक्ष्यों के माध्यम से इसका खंडन किया जा सकता है।

33.5. न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच की प्रक्रिया और संबंधित दाण्डिक न्यायालय में विचारण लंबित रहने के दौरान किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष व्यक्ति की आयु को किशोर घोषित करने की प्रक्रिया एक समान नहीं है। जांच के प्रकरण में, न्यायालय प्रथम दृष्टया निष्कर्ष अभिलिखित करता है, किंतु जब 2015 अधिनियम की धारा 94 की उप–धारा (2) के अनुसार आयु का अवधारण किया जाता है, तो साक्ष्य के आधार पर एक घोषणा की जाती है। साथ ही, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा दर्ज की गई आयु को उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की वास्तविक आयु माना जाएगा। इस प्रकार, जांच में सबूत का मानक उस कार्यवाही से भिन्न है जहाँ साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण और स्वीकार्यता के आधार पर आयु का अवधारण और घोषणा की जानी होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33.6. किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए कोई अमूर्त सूत्र निर्धारित करना न तो व्यवहार्य है और न ही वांछनीय। यह प्रत्येक प्रकरण में अभिलेख पर मौजूद सामग्री और पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए।

33.7. इस न्यायालय ने यह संप्रेक्षण किया है कि जब अभियुक्त की ओर से उसके किशोर होने के तर्क के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तो एक अति–तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।

33.8. यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हों, तो सीमावर्ती प्रकरणों में न्यायालय को अभियुक्त को किशोर मानने के पक्ष में झुकना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का लाभ विधि से संघर्षरत किशोर को प्राप्त हो सके। साथ ही, न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि गंभीर अपराध करने के बाद सजा से बचने के लिए व्यक्तियों द्वारा किशोर न्याय अधिनियम, 2015 का दुरुपयोग न किया जाए।

33.9. जब आयु का अवधारण विद्यालय के अभिलेख जैसे साक्ष्यों के आधार पर होता है, तो यह आवश्यक है कि उस पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार विचार किया जाए, क्योंकि आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में संधारित किसी भी लोक या आधिकारिक दस्तावेज की विश्वसनीयता निजी दस्तावेजों की तुलना में अधिक होती है।

33.10. कोई भी दस्तावेज जो लोक दस्तावेजों के अनुरूप हो, जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, उसे न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, बशर्ते ऐसा लोक दस्तावेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों (जैसे धारा 35 और अन्य प्रावधानों) के अनुसार विश्वसनीय और प्रामाणिक हो।

33.11. अस्थि–परीक्षण आयु अवधारण का एकमात्र मानदंड नहीं हो सकता है और केवल रेडियोलॉजिकल परीक्षण द्वारा चिकित्सकीय अभिमत के आधार पर किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में एक यांत्रिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। ऐसा साक्ष्य निश्चायक साक्ष्य नहीं है, बल्कि किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 94(2) में उल्लिखित दस्तावेजों के अभाव में विचार किया जाने वाला केवल एक बहुत उपयोगी मार्गदर्शक कारक है।"

14. हाल ही में, **पी. युवाप्रकाश विरुद्ध राज्य प्रतिनिधित्व द्वारा: पुलिस निरीक्षक, 2023 (एससीसी ऑनलाइन) एससी 846** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कण्डिका 14 से 17 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"14. किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94(2)(iii) स्पष्ट रूप से यह इंगित करती है कि विद्यालय से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनकी अनुपस्थिति में, नगर निगम या नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा। इन दस्तावेजों के अभाव में ही, अंततः किसी संबंधित प्राधिकारी अर्थात् समिति, बोर्ड या न्यायालय के आदेश पर आयोजित अस्थि परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु अवधारण परीक्षण द्वारा आयु अवधारित की जानी चाहिए। वर्तमान प्रकरण में, यह स्वीकार्य तथ्य है कि केवल एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर विचार किया गया था, न कि जन्म तिथि प्रमाण पत्र या मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र पर। प्रदर्श सी–1, जो कि शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र था, उसमें पीड़िता की जन्म तिथि 11.07.1997 दर्शाई गई थी। महत्वपूर्ण रूप से, यह स्थानांतरण प्रमाण पत्र अभियोजन द्वारा नहीं, बल्कि न्यायालय द्वारा आहूत साक्षी अर्थात् न्या.सा.–1 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि सबूत का भार सदैव अभियोजन पर होता है कि वह अपने आरोपों को साबित करे; अतः, अभियोजन ऐसे दस्तावेज़ का आश्रय नहीं ले सकता था जिसका उसने कभी अवलंब ही नहीं लिया था। इसके अतिरिक्त, ब.सा.–3 संबंधित राजस्व अधिकारी (उप तहसीलदार) ने शपथ पर यह कथन किया था कि वर्ष 1997 के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित अभिलेख गुम हो गए थे। चूंकि यह स्थानांतरण प्रमाण पत्र

धारा 94(2)(i) में वर्णित किसी भी श्रेणी के दस्तावेजों की परिभाषा के अनुरूप नहीं था, क्योंकि यह केवल एक स्थानांतरण प्रमाण पत्र था, अतः प्रदर्श सी–1 पर यह मानने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता था कि अपराध के समय 'एम' 18 वर्ष से कम आयु की थी।

15. एक हालिया निर्णय में, ऋषिपाल सिंह सोलंकी विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में, इस न्यायालय ने उन प्रकरणों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को रेखांकित किया है जहाँ आयु का अवधारण आवश्यक है। न्यायालय तत्कालीन किशोर न्याय नियमावली के नियम 12 पर विचार कर रहा था जो कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के समान विषयक है, एवं निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

> "20. किशोर न्याय नियम, 2007 का नियम 12 आयु अवधारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का वर्णन करता है। विधि से संघर्षरत व्यक्ति की किशोरता का निर्णय प्रथम दृष्टया शारीरिक उपस्थिति या उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाना था। किंतु न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आयु अवधारण की जांच, निम्नलिखित साक्ष्य प्राप्त करके की जानी थी: (i) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और उसकी अनुपस्थिति में; (ii) सर्वप्रथम प्रवेश लिए गए विद्यालय (प्ले स्कूल को छोड़कर) से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र; और उसकी अनुपस्थिति में; (iii) नगर निगम, नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र। केवल उपर्युक्त (i), (ii) और (iii) की अनुपस्थिति में ही, किशोर या बालक की आयु घोषित करने के लिए विधिवत गठित चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सीय अभिमत मांगी जा सकती थी। इसमें यह प्रावधान भी किया गया था कि आयु अवधारण करते समय, एक वर्ष के अंतर के भीतर आयु को न्यूनतम सीमा पर मानकर बालक या किशोर को इसका लाभ दिया जा सकता है।"

16. किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 94(2) में वर्णित विभिन्न विकल्पों के विषय में व्यक्त करते हुए, इस न्यायालय ने संजीव कुमार गुप्ता विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में यह अभिनिर्धारित किया कि:

> धारा 94(2) का खंड (i), विद्यालय से प्राप्त जन्म तिथि प्रमाण पत्र और संबंधित परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र को एक ही श्रेणी (अर्थात् उपर्युक्त (i)) में रखता है। इनकी अनुपस्थिति में, श्रेणी (ii) नगर निगम, नगर पालिका प्राधिकरण या पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान करती है। श्रेणी (i) और (ii) दोनों की अनुपस्थिति में ही चिकित्सा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विश्लेषण के माध्यम से आयु अवधारण का प्रावधान है। धारा 94(2)(क)(i) उन प्रावधानों की तुलना में एक महत्वपूर्ण बदलाव दर्शाती है जो 2000 के अधिनियम के अधीन बनाए गए 2007 के नियमों के नियम 12(3)(क) में निहित थे। नियम 12(3)(क)(i) के अधीन मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र को वरीयता दी गई थी और केवल उस प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में ही सर्वप्रथम प्रवेश लिए गए विद्यालय से जन्म तिथि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता था। (किंतु) धारा 94(2)(i) में विद्यालय के जन्म तिथि प्रमाण पत्र और मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, दोनों को एक ही श्रेणी में रखा गया है।"

17. अबूज़र हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य के प्रकरण में, इस न्यायालय की एक तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि किसी व्यक्ति के किशोर होने (या निर्धारित आयु से कम होने) को साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो इसका दावा कर रहा है। इसके अतिरिक्त, उस निर्णय में, न्यायालय ने उन दस्तावेजों के पदानुक्रम का भी उल्लेख किया जिन्हें वरीयता के क्रम में स्वीकार किया जाएगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. **मनोज विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2022) 6 एससीसी 187** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:–

"18. अतः, भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों को प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर, एपिफ़िसिस के संलयन द्वारा आयु अवधारित करने के लिए एक समान मानक तैयार करने की यथोचित अपेक्षा नहीं की जा सकती।

19. इसके अतिरिक्त, इस न्यायालय ने ज्योति प्रकाश राय विरुद्ध राज्य के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में दी गई चिकित्सा रिपोर्ट को न तो न्यायालयों द्वारा और न ही चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा कभी भी निश्चायक प्रकृति का माना गया है...

20. न्यायालय ने (ज्योति प्रकाश राय के प्रकरण एससीसी पृ. 228–29, कण्डिकाएँ 12–13 में) निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“12.....

13. किसी व्यक्ति की आयु अवधारित करने वाली चिकित्सा रिपोर्ट को विधि के न्यायालयों के साथ–साथ चिकित्सा वैज्ञानिकों द्वारा भी कभी निर्णायक प्रकृति का नहीं माना गया है। एक निश्चित आयु के पश्चात, अस्थि परीक्षण या अन्य परीक्षणों के आधार पर संबंधित व्यक्ति की सटीक आयु अवधारित करना कठिन होता है। इस

न्यायालय ने विष्णु विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य में यह अभिमत व्यक्त किया था (एससीसी पृ. 290 कण्डिका 20)

20. हमारे समक्ष श्री ललित द्वारा यह तर्क किया गया कि अस्थि परीक्षण के माध्यम से अभियोक्त्री की आयु का अवधारण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, और इसलिए चिकित्सक के इस अभिमत को स्वीकार किया जाना चाहिए कि बालिका की आयु 18–19 वर्ष थी। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, क्योंकि विशेषज्ञ चिकित्सा साक्ष्य किसी चक्षुदर्शी साक्ष्य पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। चिकित्सा अधिकारी का अभिमत केवल न्यायालय की सहायता के लिए होता है, क्योंकि वह तथ्यों का साक्षी नहीं होता है; चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया साक्ष्य वास्तव में केवल परामर्शदात्री प्रकृति का होता है और वह तथ्यों के साक्षी पर बाध्यकारी नहीं होता है।

उपर्युक्त स्थिति में, इस न्यायालय ने अनेक निर्णयों में यह अवधारित किया है कि चिकित्सकों द्वारा अवधारित आयु में दोनों ओर दो वर्ष का लचीलापन दिया जाना चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. **विनोद कटारा विरुद्ध उ.प्र. राज्य ,(2023) 15 एससीसी 210** के प्रकरण में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अवधारित किया है:–

64. अस्थिकरण परीक्षण कोई ऐसा सटीक विज्ञान नहीं है जो हमें किसी व्यक्ति की बिल्कुल सही आयु बता सके। जैसा कि ऊपरोक्त विश्लेषण किया गया है, व्यक्तिगत विशेषताएँ जैसे अस्थियों का विकास दर और कंकाल की संरचना इस पद्धति की सटीकता को प्रभावित कर सकती हैं। इस न्यायालय ने राम सुरेश सिंह विरुद्ध प्रभात सिंह और ज्योति प्रकाश राय विरुद्ध बिहार राज्य के प्रकरणों में यह अवधारित किया है कि आयु अवधारण के लिए अस्थि परीक्षण निश्चायक नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति की सटीक आयु प्रकट नहीं करता है। इसके बजाय, रेडियोलॉजिकल परीक्षण द्वारा निर्धारित आयु सीमा के दोनों ओर दो वर्ष का अंतर छोड़ देता है, चाहे वह परीक्षण कई जोड़ों का ही क्यों न किया गया हो। भारत में न्यायालयों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि तीस वर्ष की आयु के पश्चात, आयु अवधारण के लिए अस्थि परीक्षण का अवलंब नहीं लिया जा सकता है। यह एक सुस्थापित विधिक सिद्धांत है कि आयु के अवधारण के लिए साक्ष्य का मानक संभाव्यता की डिग्री है, न कि युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाण।"

17. अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक परिशीलन और विवेचन से, जिसमें अभियोजन साक्षियों अर्थात् अ.सा.–1 (पीड़िता), अ.सा.–2 (पिता), अ.सा.–3 (माता) और

अ.सा.–9 (संबंधित विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, जिनकी अभिरक्षा से प्रवेश पंजी जब्त किया गया था) के कथन शामिल हैं, यह स्पष्ट है कि अभियोजन अभियोक्त्री/पीड़िता की आयु के संबंध में कोई निश्चायक प्रमाण स्थापित करने में असफल रहा है। प्रस्तुत साक्ष्य इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने के उत्तरदायित्व का पर्याप्त रूप से निर्वहन नहीं करते हैं।

18. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों के सूक्ष्म परीक्षण से यह तथ्य उभरकर सामने आता है कि अ.सा.–11 ,डॉ. के.के. शोरी, जिन्होंने अभियोक्त्री/पीड़िता का अस्थि परीक्षण किया था, ने यह अभिमत दिया है कि सुसंगत समय पर पीड़िता की आयु लगभग 14 से 16 वर्ष के बीच थी। वैज्ञानिक और चिकित्सीय मूल्यांकन पर आधारित यह विशेषज्ञ परिसाक्ष्य, अभियोक्त्री/पीड़िता की आयु के संबंध में एक महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करती है, और इस प्रकार वर्तमान कार्यवाही में महत्वपूर्ण साक्ष्यिक मूल्य रखता है।

19. यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **मनोज (पूर्वोक्त) और विनोद कटारा (पूर्वोक्त)**के प्रामाणिक निर्णयों में निर्धारित दो वर्ष के अंतर की गुंजाइश के सिद्धांत को वर्तमान प्रकरण में लागू किया जाता है, तो अभियोक्त्री/पीड़िता की आयु निश्चायक रूप से 18 वर्ष से कम निर्धारित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में, उसके अवयस्क होने के संबंध में उत्पन्न संदेह का लाभ अनिवार्य रूप से अभियुक्त के पक्ष में जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपर्युक्त विचार–विमर्श के आलोक में तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक परीक्षण के उपरांत, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि अभियोक्त्री/पीड़िता को घटना के सुसंगत तिथि और समय पर, निश्चितता के साथ, अवयस्क नहीं माना जा सकता है।

21. अब, अवरोध, अपहरण और लैंगिक संभोग के आरोपों के संबंध में, साक्ष्यों के सावधानीपूर्वक परिशीलन से यह ज्ञात होता है कि अभियोक्त्री/पीड़िता स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ गई थी और लगभग 5 दिनों तक उसके साथ रही। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री/पीड़िता ने बिना किसी प्रतिरोध के, अपीलार्थी के साथ चंद्रपुर, महाराष्ट्र की यात्रा की, जहाँ वह अपने चाचा के परिवार के साथ रही। गहन परीक्षण करने पर यह पाया जाता है कि अभियोक्त्री/पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य निष्कलंक अथवा उत्कृष्ट गुणवत्ता के नहीं हैं, अपितु उनमें समय–समय पर कुछ भिन्नताएं, लोप और स्पष्ट सुधार पाए गए हैं। ये विसंगतियां, जब परिस्थितियों के साथ जोड़कर देखी जाती हैं, तो यह संकेत देती हैं कि अभियोक्त्री/पीड़िता सम्मति प्रदान करने वाली पक्षकार थी। इसके अतिरिक्त, चूँकि यह पहले ही अवधारित किया जा चुका है कि सुसंगत समय पर अभियोक्त्री/पीड़िता 18 वर्ष से कम आयु की नहीं थी,अतः उसके कृत्यों को असम्मति पर आधारित नहीं माना जा सकता। फलतः यह निष्कर्ष कि वह स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ गई थी, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री द्वारा समर्थित है।

22. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों के सावधानीपूर्वक परीक्षण के उपरांत, जिसमें अभियोक्त्री/पीड़िता का परीक्षण करने वाले चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत चिकित्सीय साक्ष्य भी शामिल हैं, यह तथ्य उभरकर

सामने आता है कि अभियोक्त्री/पीड़िता के शरीर पर कोई भी दृश्यमान चोट नहीं पाई गई थी। इसके अतिरिक्त, चिकित्सक के अवलोकन यह इंगित करते हैं कि हाइमन ऊतक का फटना हालिया नहीं था, और चिकित्सीय निष्कर्ष यह संकेत देते हैं कि अभियोक्त्री/पीड़िता को पूर्व में लैंगिक संभोग का अनुभव था।

23. उपरोक्त पहलुओं पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि अभियोक्त्री/पीड़िता स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ गई थी और इस अवधि के दौरान उसने कई स्थानों की यात्रा की। अंततः, वह चंद्रपुर, महाराष्ट्र पहुँची, जहाँ वह लगभग 4 से 5 दिनों की अवधि तक रही।

24. प्रकरण की परिस्थितियों में, सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अपीलार्थी ने अभियोक्त्री/पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध कोई अपराध कारित किया है। इसके विपरीत, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री यह इंगित करती है कि अभियोक्त्री/पीड़िता स्वेच्छा से अपीलार्थी के साथ गई थी और इसके अतिरिक्त, उसने लैंगिक संभोग में शामिल होने के लिए अपनी सम्मति दी थी। ऐसी स्थिति को कथित अपराध या विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित अपराध के रूप में नहीं माना जा सकता। यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 व 342 के साथ–साथ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6 के अधीन दोषसिद्ध करते समय प्रकरण के इस महत्वपूर्ण पहलू पर उचित विचार न करके विधिक त्रुटि की है। सम्मति और स्वैच्छिक भागीदारी के घटक का मूल्यांकन करने में हुए इस लोप के परिणामस्वरूप अपीलार्थी की दोषसिद्धि में न्याय की विफलता हुई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

25. यह विधि सुस्थापित है कि बलात्संग के प्रकरण में, केवल अभियोक्त्री/पीड़िता के एकल परिसाक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि को यथावत रखा जा सकता है। यद्यपि, इसमें एक महत्वपूर्ण चेतावनी यह है कि अभियोक्त्री/पीड़िता का परिसाक्ष्य विश्वास अवश्य प्रेरित करता हो। भले ही अभियोक्त्री/पीड़िता के परिसाक्ष्य के लिए किसी अन्य साक्ष्य द्वारा संपुष्टि की आवश्यकता नहीं होती, किंतु यदि उसका कथन विश्वसनीय नहीं है, तो अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अभियोजन को अपीलार्थी के विरुद्ध विरचित आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करना होता है, जिसे करने में अभियोजन वर्तमान प्रकरण में असफल रहा है।

26. इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों की समग्र गुणवत्ता, निरंतरता और विश्वसनीयता के आलोक में, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कथित घटना की तिथि और समय पर अभियोक्त्री/पीड़िता को अवयस्क नहीं माना जा सकता है। परिणामस्वरूप, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं किया गया है, और इसलिए, अभियुक्त द्वारा कथित रूप से कोई अपराध कारित किया जाना नहीं कहा जा सकता। अतः, प्रकरण के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, वर्तमान अपीलार्थी

के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 व 342 तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है।

27. प्रकरण के उस परिप्रेक्ष्य में, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 व 342 तथा पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 6 के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाना पूर्णतः न्यायोचित है, और वह संदेह के लाभ के आधार पर दोषमुक्त किए जाने योग्य है। तदनुसार, उपर्युक्त धाराओं के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि एवं दंडादेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और उसे संदेह के लाभ के आधार पर उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। हम निर्देश देते हैं कि यदि किसी अन्य प्रकरण में उसकी आवश्यकता न हो, तो उसे अविलंब जेल से रिहा किया जाए।

28. तदनुसार, यह दाण्डिक अपील **स्वीकार** की जाती है।

29. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–क के अनुपालन में, अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह संबंधित न्यायालय के समक्ष ₹25,000/– का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे। यह बंधपत्र छह माह की अवधि तक प्रभावशील रहेगा और इसमें यह वचनबद्धता होगी कि इस निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर होने या अनुमति प्रदान किए जाने की स्थिति में, अपीलार्थी सूचना प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

30. इस रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रतिलिपि सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख सूचना एवं आवश्यक अनुपालन हेतु विचारण न्यायालय को अविलंब प्रेषित करे।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(रजनी दुबे)
न्यायाधीश

सही/–
(अमितेन्द्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**